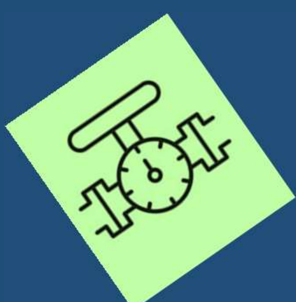

जलापूर्ति योजनाओं का दीर्घकालिक अनुरक्षण अनुदेश

प्रावधान एवं गतिविधि

आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2

- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (सुशासन के कार्यक्रम 2020–25) अंतर्गत **जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक अनुरक्षण का प्रावधान** किया गया है, ताकि 'नल का जल' की सुविधा सतत रूप से ग्रामीणों को मिलती रहे।
- **दीर्घकालिक अनुरक्षण अनुदेश** पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग ने **वर्ष 2020–2021** में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर लागू किया है।
- **मई, 2023 में** सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं मरम्मति के कार्य में एकरूपता लाने के लिए "**एक एजेंसी एक नीति**" का प्रावधान लागू।

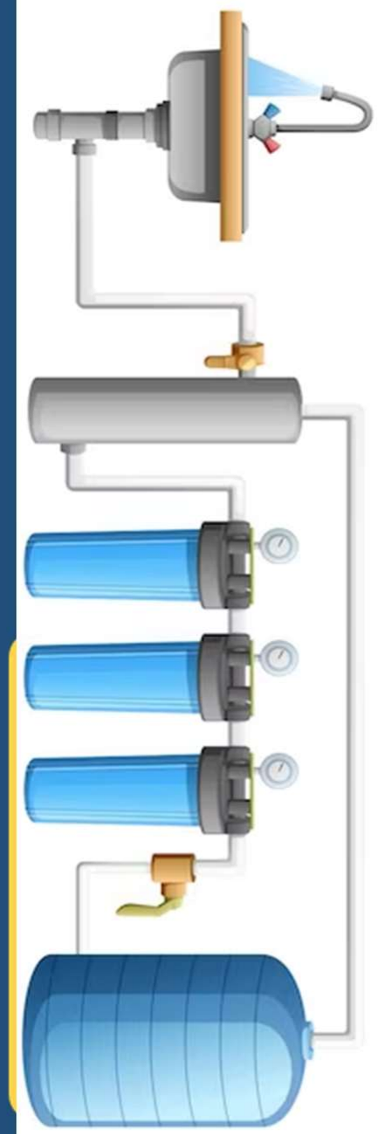

जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव व अनुरक्षण की पूर्ववर्ती व्यवस्था

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

- योजना निर्माण का कार्य चयनित संवेदक एजेंसी द्वारा
- संवेदक एजेंसी के द्वारा जलापूर्ति योजना के निर्माण के उपरांत तीन/छः माह के ट्रायल रन
- तीन/छः माह का ट्रायल रन समाप्त होते ही योजना का 5 वर्षों के लिए 'संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण'।

पंचायती राज विभाग

- योजना निर्माण का कार्य वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा
- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा योजना संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण।

जलापूर्ति योजना

सरकार के निर्णय

संचालन, मरम्मति एवं संपोषण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित सभी जलापूर्ति योजनाएं
- पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन पंचायतों में निर्मित सभी जलापूर्ति योजनाएं
- सार्वजनिक स्थानों पर लगाये गये सभी चापाकल

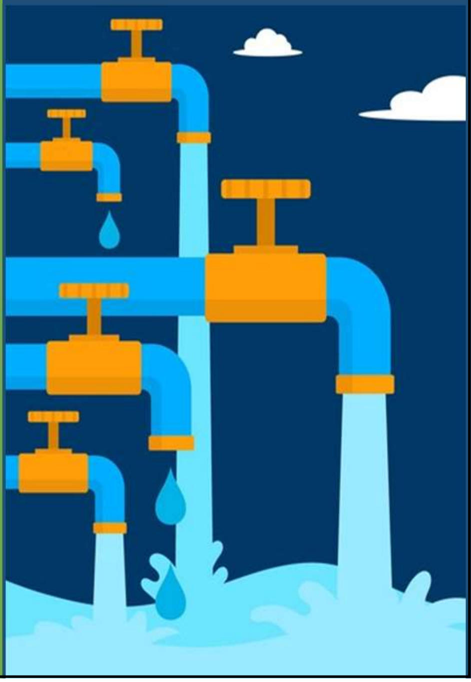

जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालीन अनुरक्षण के अनुदेश

मुख्य अवयव

1. दैनिक सामान्य रख–रखाव (Preventive Maintenance)
2. लघु मरम्मति (Minor Maintenance)
3. वृहद् मरम्मति (Major Maintenance)
4. उपभोक्ता शुल्क प्रबंधन (Management of Water Tariff)
5. शिकायत निवारण व्यवस्था (Grievance Redressal System)
6. शिकायत निवारण समयसीमा (Grievance Redressal Timeline)
7. हितधारकों का दायित्व निर्धारण (Responsibility of Stakeholders)
8. वित्तीय प्रबंधन (Fund Management)

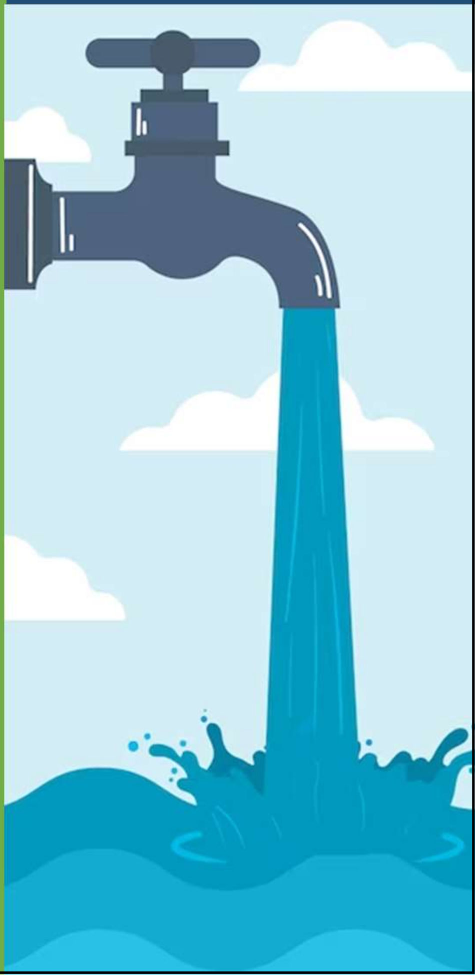

जलापूर्ति योजना का संचालन

- जलापूर्ति की अवधि प्रतिदिन 6 घंटे निर्धारित।
- जलापूर्ति की अवधि माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 6:00 बजे से 9:00 बजे तक एवं अन्य माह में प्रातः 5:00 बजे से 8:00 बजे तक
- दोपहर में 1 घंटे (1 से 2 बजे दोपहर में) तथा
- सायंकाल सभी माह में 4:00 बजे से 6:00 बजे तक।

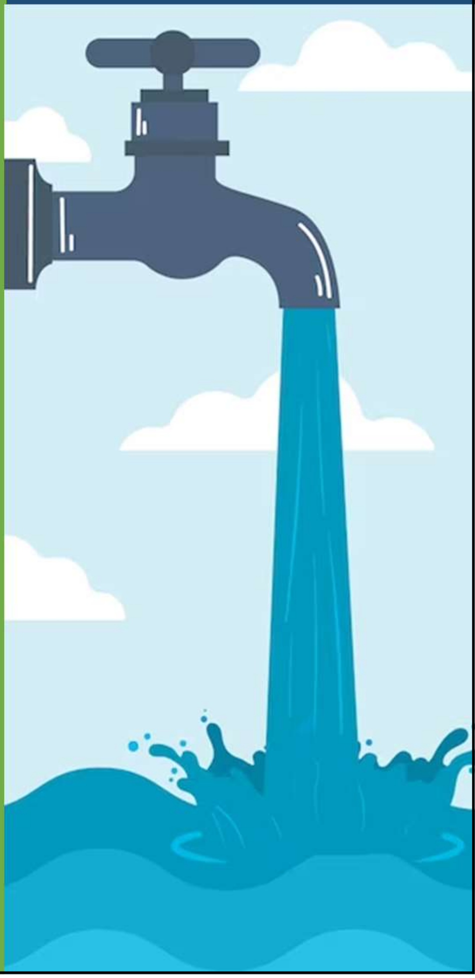

जलापूर्ति योजना का निवारक अनुरक्षण (Preventive Maintenance)

- जलापूर्ति योजनाओं का नियमित व निर्धारित अंतराल पर निरीक्षण और पूरी तरह से खराब होने के पूर्व स्पेयर पार्ट्स का बदला जाना।
- संचालन एजेंसी प्राथमिक रूप से पम्प ऑपरेटर/अनुरक्षक को निवारक अनुरक्षण हेतु जवाबदेह बनायेगी।
- निवारक अनुरक्षण की गतिविधियों चिन्हित और अनुश्रवक निर्धारित।

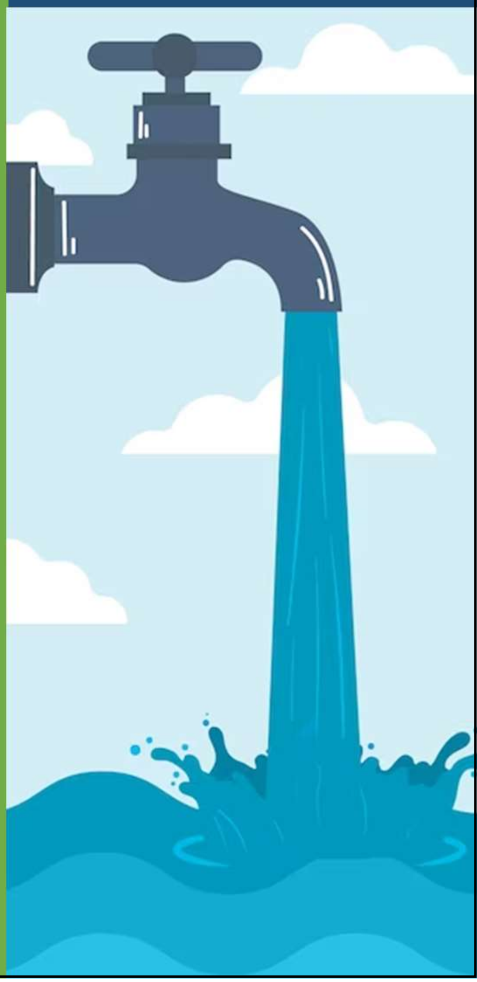

पम्प ऑपरेटर द्वारा जलापूर्ति किये जाने की दैनिक गतिविधि

- जलापूर्ति पम्प/मोटर को सुबह चालू करने से पहले यह ध्यान देना कि प्लांट के सभी बिजली तार एवं पाईप कनेक्शन सही स्थिति में हो।
- ट्रीटमेन्ट प्लांट के सभी पाईपों एवं तारों के कनेक्शन, पम्प, फिल्टर, वैसेल में प्रयुक्त वाल्वों को देखना कि वे सही स्थिति में है।
- पम्प को चालू करने से पूर्व यह निश्चित होना कि फिल्टर मीडिया का बैक वाश आवश्यक है या नहीं (आयरन शुद्धिकरण संयंत्र में दैनिक रूप से/फ्लोराईड एवं आर्सेनिक शुद्धिकरण संयंत्र में आवश्यकतानुसार)। यदि बैक वाश की जरूरत हो तो फिल्टर मीडिया का बैक वाश करना।
- पम्प को चालू करने के उपरान्त, फिल्टर एवं पाईप लाईन में जल के दबाव पर लगातार ध्यान रखना।
- वाटर टैंक से ओभर फ्लो को नियंत्रित रखना।

जारी.....

- शुद्ध पेयजल की उपयोगिता एवं सदुपयोग पर ग्रामीणों को जागरूक करना।
- प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की मात्रा, विद्युत व्यवधान का विवरण, वोल्टेज, आपूर्ति किये जा रहे जल की फील्ड टेस्ट किट से जांच कर उन्हें लॉग बुक में दर्ज करना।
- पम्प गृह एवं परिसर को साफ रखना।
- पानी की गुणवत्ता जाँच हेतु जल नमूना संग्रह हेतु उपलब्ध कराये गये बोतल में जल नमूना संग्रहित करना।
- जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों को शिकायत पंजी में अंकित करना और शिकायत निवारण सुनिश्चित कराना।

पम्प ऑपरेटर द्वारा की जाने वाली दैनिक, साप्ताहिक एवं अर्द्धवार्षिक रख–रखाव और अनुरक्षण गतिविधियाँ

क्रम	गतिविधियाँ	गतिविधि की अवधि		
		दैनिक	साप्ताहिक	अर्द्धवार्षिक
1	2	3	4	5
1	विद्युत आपूर्ति उपकरण / सोलर पैनल एवं पम्प की अपकीपिंग		✓	
2	शुद्धिकरण संयंत्र के पाईप कनेक्शन का निरीक्षण	✓		
3	जल वितरण प्रणाली का निरीक्षण		✓	
4	गृह जल संयोजन का निरीक्षण		✓	
5	शुद्धिकरण संयंत्र / पम्प हाउस की सफाई	✓		
6	योजना परिसर की सफाई		✓	
7	स्टोरेज टैंक की सफाई (केवल PVC हेतु)			✓
8	लॉग बुक में संयंत्र के परिचालन की अवधि आदि को दर्ज करना।	✓		
9	फ्लोमीटर एवं प्रेशर गेज के रीडिंग को लॉग बुक में दर्ज करना।	✓		

जलापूर्ति योजना की लघु मरम्मति (Minor Maintenance)

- मोटर–पम्प की मरम्मति कार्य,
- Starter की मरम्मति/नये Starter का अधिष्ठापन कार्य,
- Voltage Stabilizer की मरम्मति कार्य,
- पम्प चैम्बर का मरम्मति कार्य,
- Rising Main/Delivery Main/Valve का Restoration कार्य,
- जल वितरण प्रणाली में बिछाए गए विभिन्न व्यास के HDPE पाईप में Leakage मरम्मति कार्य,
- पानी की टंकी का मरम्मति कार्य,
- Steel/RCC स्ट्रक्चर का मरम्मति कार्य, आदि

जलापूर्ति योजना की वृहत मरम्मति **(Major Maintenance)**

- जलापूर्ति योजना के वृहत मरम्मति से तात्पर्य जलापूर्ति योजनाओं में बड़ी खराबी (Major Breakdown) आने पर वृहत मरम्मति व्यवस्था सुनिश्चित करनी है।
- Boring Failure की स्थिति में नये Boring का निर्माण कार्य एवं Rising Main का संयोजन,
- नये मोटर पम्प का अधिष्ठापन कार्य,
- टंकी अधिष्ठापन हेतु नये Structure (RCC/Steel) का निर्माण कार्य,
- अतिरिक्त पानी की टंकी का अधिष्ठापन कार्य,
- नये गृह जल संयोजन की माँग आने पर अतिरिक्त पाईप लाईन एवं गृहजल संयोजन देने का कार्य,
- आपदा एवं Unforeseen की स्थिति में वृहद रूप से क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली का पुनःस्थापन कार्य,
- विद्युत ट्रांसफार्मर की बदली, आदि।

उपभोक्ता शुल्क प्रबंधन

- प्रति परिवार रू० 30 / — प्रतिमाह
- मासिक उपभोक्ता प्रभार का संग्रह वार्ड सदस्य द्वारा
- संग्रहित मासिक उपभोक्ता प्रभार वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में जमा कराई जायेगी
- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा संग्रहित राशि का 50% वार्ड सदस्य को प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान की जायेगी और अवशेष निधि सरकार के खाते में जमा कराई जायेगी।

शिकायत निवारण व्यवस्था

- शिकायत दर्ज कराने हेतु पम्प हाउस पर शिकायत पंजी की उपलब्धता
- प्रमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष/हर घर नल का जल सेवा केन्द्र कार्यरत
- जलापूर्ति योजनाओं में मरम्मति एवं अनुरक्षण संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर 'मरम्मति दल' गठित हैं, जो शिकायत प्राप्त होते ही निर्धारित अवधि में मरम्मति करते हैं।
- जलशुद्धिकरण संयंत्रों के मरम्मति हेतु निर्माता एजेंसियों द्वारा सर्विस सेन्टर की स्थापना प्रमंडलों में की गई है।
- जलापूर्ति योजनाओं के तत्क्षण अनुश्रवण के लिए सेंसर आधारित आई०ओ०टी० अनुश्रवण प्रणाली अधिष्ठापित किया गया है।
- शिकायतों के त्वरित निवारण के पूरे राज्य के लिए एक टॉल फ्री नम्बर 1800 1231 121 और केन्द्रीकृत शिकायत निवारण कोषांग की व्यवस्था नवम्बर, 2021 में की गई है।

शिकायत निवारण व्यवस्था

शिकायत	शिकायत निवारण अवधि
जलापूर्ति योजना में लिकेज साधारण (Minor)/ असाधारण (Major)	12 - 24 घंटा / 3 - 5 दिन
मोटर पम्प में खराबी	24 घंटा
साधारण मरम्मति	24 घंटा
स्टैण्ड पोस्ट की मरम्मति	24 घंटा
जल मीनार की सफाई	15 दिन; यदि विगत 6 माह में सफाई नहीं की गई हो
नया गृह जल संयोजन/ गृह जल संयोजन विच्छेदन	3 दिन यदि pipeline आवेदक के समीप हो 30 दिन यदि नई pipeline बिछाये जाने की आवश्यकता हो
जल गुणवत्ता की जाँच	03 दिन

हितधारकों के दायित्व

- कनीय अभियंता और सहायक अभियंता द्वारा जलापूर्ति योजना का निरीक्षण करेंगे और प्रतिवेदित करेंगे।
- निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित सुधारात्मक बिन्दुओं को 'मरम्मति दल' को भेजा जायेगा और त्वरित सूचना कार्यपालक अभियंता को भी प्रेषित की जायेगी।
- निरीक्षण टिप्पणी पम्प हाउस में रखे गये पंजी में भी अंकित किया जायेगा।
- विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से योजनाओं का निरीक्षण

पदाधिकारी	मासिक रूप से निरीक्षण की जाने वाली न्यूनतम योजनाएं
क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	10
अधीक्षण अभियंता	15
कार्यपालक अभियंता	15
सहायक अभियंता	20
कनीय अभियंता	25

अध्यक्ष, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति

- जलापूर्ति योजना का वितरण प्रणाली का दैनिक रूप से निरीक्षण करना और त्रुटियों को राज्य स्तरीय टोल फ्री नम्बर पर पंजीकृत कराना;
- प्रत्येक माह के प्रथम वृहस्पतिवार को 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' के साथ लाभुक महिलाओं की मासिक बैठक आयोजित कर जलापूर्ति योजना की कार्य समीक्षा/सामुदायिक जागरूक करना (जल चौपाल लगाना) और बैठक के सारांश को Mobile App के माध्यम से साझा करना;
- वार्ड क्षेत्र में जलापूर्ति योजना से संबंधित समस्याओं को शिकायत पंजी में दर्ज करना और उसके निवारण में मरम्मति दल को सहयोग देना;
- विभागीय टोल फ्री नम्बर 18001231121 के माध्यम से शिकायतों को निबंधित कराने में समुदाय को सहयोग देना;
- विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले फिल्ड टेस्ट किट से जल गुणवत्ता निगरानी और इसके परिणाम को स्थानीय समुदाय के बीच साझा करना;
- जल गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु जल नमूना को एकत्रित करना एवं जल जाँच प्रयोगशाला में भेजना।

Thanks

State Project Management Unit